eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

बौद्ध युगीन राज्यों में दण्ड एवं न्याय व्यवस्था

[1]डॉ0 राजेश चन्द्र मिश्र

[1]एसो0 प्रोफेसर वाणिज्य, ही0 रा0 स्ना0 महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उ0प्र0

Received: 12 Jan 2020, Accepted: 19 Jan 2020, Published on line: 30 Jan 2020

Abstract

बौद्ध युगीन समस्त राज्यों में शासन व्यवस्था एक समान रहा। भिन्न–भिन्न राजतन्त्र–राज्यों में राजा की स्थिति भिन्न–भिन्न प्रकार की थी। यही कारण है कि जातक–साहित्य तथा अन्य बौद्ध–ग्रन्थों में इस विषय में विविध तथा परस्पर–विरोधी विचार उपलब्ध होते हैं। हम यहाँ इन विचारों को प्रदर्शित करने का यत्न करें। इस काल में न्याय व्यवस्था पूर्ण विकसित दिखाई देती है। न्याय निष्पक्ष एवं उचित होता था, किन्तु दण्ड बड़े भयंकर होते थे। प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था के सन्दर्भ में मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य और वृहस्पति के विचार प्रासंगित माने जाते हैं।

शब्द पूंजीः– बौद्ध युगीन राज्य, दण्ड, न्याय व्यवस्था, जातक–साहित्य।

Introduction

मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों ही प्रसिद्ध ग्रन्थों में दण्ड, न्याय और राज्य को एक दूसरे का पूरक माना गया है। इसी प्रकार प्राचीन बौद्ध युगीन धर्म ग्रन्थों में भी दण्ड और न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है।

बौद्ध काल में दण्ड और न्याय–व्यवस्था का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक–कथाओं में मिलते हैं। उस काल में दण्ड और न्याय इतनी पूर्णता को पहुँचा हुआ था कि बहुत कम मुकदमें न्यायालयों के सम्मुख पेश होते थे। राजोवाद जातक में लिखा है कि वाराणसी के राज्य में न्याययुक्त शासन के कारण एक भी अभियोग न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं होता था। इसी प्रकार की बात अन्यत्र भी जातकों में लिखी गई है। उस काल में न्याय कितना पूर्ण तथा निष्पक्षपात होता था, इसका एक दृष्टान्त चुल्लवग्ग में मिलता है। श्रावस्ती में एक गृहपति निवास करता था, जिसका नाम सुदत्त था। वह अनाथों का बड़ा सहायक था, इसीलिए उसे 'अनाथपिण्डक' भी कहते थे। श्रावस्ती के राजकुमार का नाम जेत था। कुमार जेत के पास एक उद्यान था, जो शहर के न बहुत समीप था, न बहुत दूर। वहाँ आने–जाने की बहुत सुविधा थी और वह एकान्तव ास के लिए भी बहुत उपयुक्त था। अनाथपिण्डक ने महात्मा बुद्ध को श्रावस्ती पधारने के लिए निमन्त्रित

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

किया हुआ था। उसके सम्मुख यह समस्या थी कि महात्मा बुद्ध के ठहरने के लिए किस स्थान पर प्रबन्ध किया जाए। उसने सोचा, कुमार जेत का उपवन इस कार्य के लिए बहुत पयुक्त है। वह कुमार के पास गया और उससे कहा– ''कुमार, यह उद्यान मुझे दे दो, मैं इसमें आराम का निर्माण करूँगा।'' कुमार जेत ने उत्तर दिया– ''गृहपति ! यह उद्यान तब तक नहीं बिक सकता, जब तक इसके लिए सौ करोड़ मुद्राएं न दी जाएँ।''

''मैं इस कीमत पर इस उद्यान को खरीदता हूँ।

नहीं गृपति, यह उद्यान नहीं बि सकता।।''

अनाथपिण्डक सुदत्त का विचार था कि जब वह कुमार जेत द्वारा माँगी हुई कीमत को देने के लिए तैयार है तो उद्यान उसका हो गया। पर कुमार जेत यह स्वीकृत नहीं करता था। आखिर इस बात का फैसला कराने के लिए वे व्यावहारिक महामात्रों के पास गये। उन्होंने मुकदमे को सुनकर यह निर्णय किया– ''कुमार ने जो मूल्य निश्चित किया था, वह गृहपति देने को तैयार है अतः उद्यान बिक गया है।''

इस काल में यद्यपि न्याय निष्पक्ष तथा उचित होता था, पर दण्ड बड़े भयंकर दिये जाते थे। दण्ड देते हुए शारीरिक कष्ट तथा अंग–अंग को अनुचित नहीं समझा जाता था। एक डाकू को यह सजा दी गई कि हाथ, पैर, नाक, कान काटकर एक नौका में डाल दिया जाय और नौका को गंगा में बहा दिया जाय। एक डाकू को दी गई सजा के अनुसार उसे कांटेदार कोड़ों से बुरी तरह पीटा गया, कुल मिलाकर हजार कोड़े मारे गये। हाथी द्वारा कुचलवाकर मारने का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर आता है।

दण्ड, न्याय और राज्य रक्षक की स्थिति में राजा की भूमिका

बौद्ध–साहित्य के अनुसार राजा का कार्य केवल प्रजा का पालन तथा अपराधियों को दण्ड देना ही समझा जाता था। वह व्यक्तियों पर कोई अधिकार नहीं रखता था। एक जातक कथा के अनुसार एक बार एक राजा की प्रिय रानी ने अपने पति से यह वर माँगा कि मुझे राज्य पर मर्यादित अधिकार प्रदान कर दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी प्रिय रानी से कहा– ''भद्र ! राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मैं तो केवल उनका स्वामी हूँ, जो राजकीय नियमो का उल्लंघन कर अकर्तव्य कार्य को करते हैं। अतः मैं तुम्हें राष्ट्र के सम्पूर्ण

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

निवासियों का स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ हूँ। इससे स्पष्ट है कि जातक–साहित्य के समय में राजाओं का अधिकार मर्यादित माना जाता था और वे सम्पूर्ण जनता पर अवाधिक रूप से शासन नहीं कर सकते हैं।

बौद्ध–काल के सभी राजा शासन में इन उदात्त सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं करते थे। जातक–कथाओं में अनेक इस प्रकार के राजाओं का भी उल्लेख आया है, जो अत्याचारी, क्रूर और प्रजापीड़क थे। महापिंगल–जातक वाराणसी के एक राजा का उल्लेख आया है , जिसका नाम महापिंगल था। वह अधर्म से प्रजा पर शासन करता था। दण्ड, कर आदि द्वारा वह जनता को इस प्रकार पीसता था जैसे कोल्हू में गन्ना पीसा जाता है। वह बड़ा क्रूर, अत्याचारी और भयंकर राजा था। दूसरों के प्रति उसके हृदय में दया का लवलेश भी न था। अपने कुटुम्ब में भी वह अपनी धर्मपत्नी सन्तान आदि पर तरह–तरह के अत्याचार करता रहता था।

इस प्रकार केलिसील–जातक में वाराणसी के रजा ब्रह्मदत्त का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह बड़ा स्वेच्छाचारी तथा क्रूर राजा था। उसे पुरानी वस्तुओं से बड़ा द्वेष था। वह न केवल पुरानी चीजों को ही नष्ट करने में व्यापृत रहता था, पर साथ ही वृद्ध स्त्री–पुरुषों को तरह–तरह के कष्ट देकर उन्हें मारने में भी उसे बड़ा आनन्द अनुभव होता था। जब वह किसी बूढ़ी स्त्री को देखता, तो उसे बुलाकर पिटवाता था। बूढ़े पुरुष को वह इस ढंग से जमीन पर लुढ़काता था मानों वे धातु के बरतन हों।

इसी प्रकार अन्यत्र भी जातक–कथाओं में अत्याचारी और क्रूर राजाओं का वर्णन है। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि बहुसंख्यक राजा धार्मिक और प्रजापालक होते थे। ऊपर जिन राजाओं को जिक्र हमने किया है वैसे राजा जातक कथाओं में बहुत कम है। बौद्ध–काल के राजा प्रायः अपनी 'प्रतिज्ञा' पर दृढ़ रहने वाले होते थे। राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे, उनके विरूद्ध विद्रोह भी होते रहते थे। जातक–कथाओं में अनेक राजाओं के विरूद्ध किये गये विद्रोहों तथा राजाताअें के पद्च्युत किये जाने के उल्लेख मिलते हैं। जातक में पुष्पवती नगरी के राजा की कथा आती है, जिसका पुरोहित खण्डहाल नाम का ब्राह्मण था। इस खण्डहाल के प्रभाव में आकर राजा बहुत पथभ्रष्ट हो गया और उसने स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से अपनी स्त्रियों, बच्चों और प्रजा के मुख्य व्यक्तियों को बलि देने का विचार करना प्रारम्भ किया। उसने सब तैयारी भी कर ली। पर जब इस महान् हत्याकाण्ड का अवसर उपस्थित हुआ, तो जनता इसे सह न सकी और उसने विद्रोह कर दिया।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

पुरोहित खण्डहाल कतल का दिया गया और जनता ने राजा पर भी आक्रमण किया। पर शक्क के हस्तक्षेप करने पर जनता उसे प्राणदान देने के लिए उत हो गई। राजा की जान बच गई, पर उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि उसे राज्य से च्युत किया जाए और पुष्पवती से बहिष्कृत कर बाहर चाण्डालों के साथ बसने का आदेश दिया जाए। ऐसा ही किया गया और जनता के विरोध से पुष्पवती के इस अत्याचारी और पथ भ्रष्ट राजा के शासन का अन्त हुआ। इन उदाहरणों से यह भली–भाँति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध काल में अत्याचारी राजाओं के शासन को यह जनता सहन नहीं कर सकती थी और अवसर पाकर उन्हें पदच्युत करने में कभी नहीं चूकती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध युगीन राज्यों की न्याय व्यवस्था पूर्ण विकसित एवं सुदृढ़ है। न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय देता था, किन्तु दण्ड बड़े ही उग्र हुआ करते थे, जिसका कारण यह था कि दण्डित व्यक्ति भविष्य में फिर ऐसी गलती न करे तथा दूसरे व्यक्ति भी उग्र दण्ड के भय से न्याय विरूद्ध कार्य न करें। इस काल में कुछ राजा प्रजापालक थे जो स्वयं प्रजा का स्वामी अपने को नहीं मानते थे, बल्कि राजा प्रजा का सेवक है इस रूप में अपनी छवि बनाये दिखते हैं। वहीं कुछ क्रूर राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। राजपद वंशक्रमानुगत होता था, किन्तु राजसिंहासन पर आरूढ़ होने राजपद प्राप्त के उपरान्त सम्पूर्ण दक्षता एवं निष्ठा से राज्य का संचालन कर सकते हैं तभी उन्हें राजा बनाया जाता था।

संदर्भ सूची:–

Thik tank